कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

सार्वजनिक सूचना

"श्वान पशु पंजीकरण उपविधि –2023"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 (2)(ड़) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवत) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत श्वान पशु पंजीकरण हेतु उपविधि तैयार की गई है। अतः नगर निगम रूद्रपुर की अधिसूचना की परिधि में आने वाली सामान्य जनता या फिर उन नागरिकों/संस्थाओं आदि, जिन पर प्रस्तावित उपविधि का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रस्तावित श्वान पशु पंजीकरण उपविधि – 2023 का प्रारूप नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड कर यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी जाती है, जिसके प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक आपत्ति/सुझाव नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर को सम्बोधित करते हुए नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय के कक्ष सं0 17 में स्थापित ड्रॉप बॉक्स में डाले जा सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम रूद्रपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।

–ह0–	–ह0–
(विशाल मिश्रा)	(रामपाल सिंह)
नगर आयुक्त	महापौर
नगर निगम रूद्रपुर	नगर निगम रूद्रपुर

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक – 153/2 /स्वा0अनु0/2023–24 P.B दिनांक 29 अप्रैल 2023

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

1. कार्यालय, जिलाधिकारी, उधमसिहनगर।
2. कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. कार्यालय, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. कार्यालय, उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।
5. कार्यालय, नगर निगम रूद्रपुर, उधमसिंहनर।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र **हिन्दुस्तान** एवं **राष्ट्रीय सहारा** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त ई–निविदा सूचना 6 **X** 8 सेमी साईज में अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत से अधिक की छूट देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल समाचार की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. श्री तपन कुमार राय, डा0एन्ट्री0 ऑपरेटर, नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर नगम रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

email:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

नगर निगम,रूद्रपुर सीमा के अर्न्तगत श्वान लाईसेंस उपविधि – 2023

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 (2)(ड़) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवत) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत श्वान पशुओं के पंजीकरण्रा हेतु नगर निगम रूद्रपुर द्वारा तैयार की गई श्वान लाईसेंस उपविधि 2023 को अपने क्षेत्राधिकार में नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव संख्या 09 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अध्याय–1
सामान्य

1–सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगर निगम, रूद्रपुर श्वान लाईसेंस उपविधि 2023 कहलायेगी ।

(ख) यह उपविधि गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2–परिभाषाएं–

(क) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर व उसकी सीमा से है,

(ख) "नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर के नगर आयुक्त से है,

(ग) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश,नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड़ राज्य में यथाप्रवत) से है।

(घ) "श्वान" से तात्पर्य नगर निगम,रूद्रपुर व उसकी सीमा के अन्तर्गत पाये जाने वाले पालतू/आवारा कुत्तों/DOGS से है,

4– प्रत्येक 3 माह अथवा इससे अधिक की आयु का "श्वान" नगर निगम, रूद्रपुर की सीमा के अंदर रखने/पालने पर इनका पंजीकरण नगर निगम, कार्यालय में कराना आवश्यक होगा, जो प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा ।

5– प्रत्येक ऐसे "श्वान" जिनका पजीकंरण कराना हो, के (1) लिंग, (2) रंग, (3) नस्ल, (यदि ज्ञात हो) की सूचना, नगर निगम, कार्यालय रूद्रपुर को उसके स्वामी द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करानी होगी।

6– आवेदन–पत्र के साथ रू 500.00 का पजीकंरण शुल्क जमा करना होगा।

7– आवेदन–पत्र के साथ "श्वान" को एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगा होने का प्रमाण–पत्र, "श्वान" के स्वामी का आधार कार्ड, प्रस्तुत करना होगा। साथ ही समय–समय पर "श्वान" को होने वाली बिमारियों का टीकाकरण किया जाना भी अनिवार्य है, जिससे आवारा "श्वान" द्वारा पंजीकृत "श्वान" /पालतू "श्वान" को काटे जाने पर किसी भी प्रकार की बिमारी न हो पाये ।

8– पंजीकृत "श्वान" के कारण किसी भी प्रकार की घटना (काटने, घायल करने आदि) घटित होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी "श्वान" के स्वामी की होगी ।

9– "श्वान" के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह अथवा इससे पूर्व ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा। निर्धारित समय से 3 माह तक पंजीकरण के नवीनीकरण न किये जाने पर प्रति 3 माह के अतंराल पर रू 100.00 विलम्ब शुल्क देय होगा तथा 6 माह तक पंजीकरण के नवीनीकरण न किये जाने पर पंजीकरण को रद्द किया जायेगा। व पुनः पंजीकरण किये जाने पर पंजीकरण शुल्क रू 700.00 देय होगा।

10– प्रत्येक "श्वान"पंजीकरण के पश्चात् उसके पंजीयन संख्या का टोकन जारी किया जायेगा,जो "श्वान" के गले में सदैव उपलब्ध रहेगा।

11– किसी भी पंजीकरण के टोकन के खो जाने की दशा में उसके स्वामी की लिखित सूचना पर दूसरा टोकन रू 100.00 के दण्ड शुल्क लेकर जारी किया जा सकेगा, "श्वान" के गले में टोकन ना पाये जाने की स्थिति में "श्वान" पंजीकरण रहित माना जायेगा ।

12– "श्वान" के स्वामी द्वारा अपने श्वान पशु को सार्वजनिक स्थलों (मंदिर, रोड़, पार्क, मस्जिद, गुरूद्वारा चर्च आदि) के सामने शौच आदि के लिये नहीं घुमाया जायेगा, यदि किसी "श्वान"के स्वामी द्वारा इसका उल्लंघन करता पाया गया तो तत्काल रू 500.00 का दण्ड देय होगा, अन्यथा की स्थिति में "श्वान" का लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा ।

13– "श्वान" के स्वामी द्वारा "श्वान" पालन हेतु गृह के चारों ओर दिवारी बनाया जाना अनिवार्य है।

14– "श्वान" के स्वामी द्वारा "श्वान" के व्यवसाय किये जाने पर व्यवसायिक पंजीकरण कराया जायेगा जिसके लिए आवेदन–पत्र के साथ रू 2000.00 का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, "श्वान" के स्वामी का आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रमाण–पत्र व "श्वान" की संख्या (1) लिंग, (2) रंग, (3) नस्ल, की जानकारी भी आवेदन–पत्र में दर्ज करानी होगी। साथ ही "श्वान" की उचित देखरेख हेतु रखे गये कर्मचारी का भी आधार कार्ड प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा ।

15– "श्वान"के स्वामी द्वारा बिना व्यवसायिक पंजीकरण कराये व्यवसाय किये जाने पर रू 5000.00 का अर्थ दण्ड देय होगा।

16– पंजीकृत "श्वान" के स्वामी के पड़ोसियों द्वारा आपत्ति किये जाने पर सम्बन्धित "श्वान" के स्वामी द्वारा पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु अपने पड़ोसियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अन्यथा की स्थिति में "श्वान" का नवीनीकरण नही किया जायेगा।

17– प्रत्येक ऐसा "श्वान" जो सार्वजनिक स्थल पर बिना गले के टोकन के पाया जायेगा, पकड़कर जब्त करने योग्य होगा ।

18– नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा "श्वान" पशुओं को खाना खिलाने वाले समस्त एन0जी0ओ0 को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिन आवारा "श्वान" पशुओं को खाना खिला रहे है, वे उनके टीकाकरण एवं बन्ध्याकरण की व्यवस्था भी स्वंय के स्तर से करेंगे।

यहां प्रयुक्त किये गये लेकिन परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा,जो नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172(2)(5) में अभिप्रेरित है।

अध्याय–2
दण्ड

इस नियमावली के नियम 4 से 18 की अवेलहना होने पर "श्वान" का स्वामी/खाना खिलाने वाले एन0जी0ओ0 दण्ड का भोगी होगा, जो रू0 500.00 तक हो सकेगा एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन रू 50 तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा ।

विशाल मिश्रा
नगर आयुक्त,
नगर निगम,रूद्रपुर